

**वित्त मंत्रालय**

**मांग संख्या 36**

**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण**

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
राजस्व	72239.74	45578.42	117818.16	91957.00	62459.40	154416.40	82422.97	55614.72	138037.69	60332.00	65000.00	125332.00		
<b>पूँजी</b>	<b>10652.70</b>	...	<b>10652.70</b>	<b>11000.00</b>	...	<b>11000.00</b>	<b>11000.00</b>	...	<b>11000.00</b>	<b>12000.00</b>	...	<b>12000.00</b>		
<b>जोड़</b>	<b>82892.44</b>	<b>45578.42</b>	<b>128470.86</b>	<b>102957.00</b>	<b>62459.40</b>	<b>165416.40</b>	<b>93422.97</b>	<b>55614.72</b>	<b>149037.69</b>	<b>72332.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>137332.00</b>		
<b>राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान</b>														
<b>योजना - भिन्न अनुदान</b>														
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान														
1.01	राजस्व खाते में घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान	3601	...	11716.00	11716.00	...	10074.00	10074.00	...	10074.00	10074.00	...	7550.00	7550.00
1.02	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3601	...	14266.68	14266.68	...	22972.46	22972.46	...	23648.69	23648.69	...	22493.78	22493.78
1.03	सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601	...	3663.83	3663.83	...	5175.00	5175.00	...	4445.00	4445.00	...	5665.00	5665.00
1.04	सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए अनुदान	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.05	वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.06	विरासत संरक्षण को सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.07	राज्य की विशिष्ट जरूरतों के लिए सहायता अनुदान	3601	...	2634.26	2634.26	...	6723.75	6723.75	...	2894.86	2894.86	...	6398.75	6398.75
1.08	राज्य आपदा रिस्पांस निधि (एसडीआरएफ) (क्षमता निर्माण सहित) के लिए सहायता अनुदान	3601	...	5262.29	5262.29	...	5520.17	5520.17	...	5520.17	5520.17	...	5790.95	5790.95
1.09	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल के लिए सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.10	निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए सहायता अनुदान	3601	...	360.00	360.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.11	पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान	3601	...	1099.26	1099.26	...	2500.00	2500.00	...	1050.48	1050.48	...	6927.00	6927.00
1.12	अभिशासन के लिए सहायता अनुदान	3601	...	1636.10	1636.10	...	3629.02	3629.02	...	2478.52	2478.52	...	4141.52	4141.52
1.13	प्रारंभिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान	3601	...	4615.00	4615.00	...	5540.00	5540.00	...	5178.00	5178.00	...	5708.00	5708.00
जोड़- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान														
			...	45253.42	45253.42	...	62134.40	62134.40	...	55289.72	55289.72	...	64675.00	64675.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
जोड़-योजना - भिन्न अनुदान	...	45578.42	45578.42	...	62459.40	62459.40	...	55614.72	55614.72	...	65000.00	65000.00	65000.00
जोड़-राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान	...	45578.42	45578.42	...	62459.40	62459.40	...	55614.72	55614.72	...	65000.00	65000.00	65000.00
राज्य तथा संघशासित क्षेत्र को सहायता अनुदान													
योजना - भिन्न अनुदान													
3. अर्थोपाय अग्रिम													
3.01 अदायगियां	7601	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
3.02 घटाइए - वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	...	...	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान													
योजना - भिन्न अनुदान													
4. ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना													
4.01 राज्य सरकारों के बट्टे खाते डाले ऋण	2075	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के बट्टे खाते डाले ऋण	2075	...	220.83	220.83	...	...	...	...	63.69	63.69	...	...	...
4.03 घटाइए - निवल प्राप्तियां	0075	...	-220.83	-220.83	...	...	...	...	-63.69	-63.69	...	...	...
4.04 घटाइए - निवल प्राप्तियां	7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण													
5. राष्ट्रीय निवेश निधि													
5.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	3601	5892.00	...	5892.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5.02 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए एनआईएफ से ली गई धनराशि	3601	-2344.80	...	-2344.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5.03 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए एनआईएफ से ली गई धनराशि	3601	-3547.20	...	-3547.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. एकमुश्त अनुदान													
6.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	3601	24062.73	...	24062.73	27636.00	...	27636.00	27236.00	...	27236.00	28514.00	...	28514.00
6.02 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	3260.81	...	3260.81	2500.00	...	2500.00	3779.97	...	3779.97	3500.00	...	3500.00
6.03 अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	2146.12	...	2146.12	1261.00	...	1261.00	1420.31	...	1420.31	1261.00	...	1261.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6.04 विशेष केन्द्रीय सहायता	3601	10950.00	...	10950.00	9571.00	...	9571.00	9571.00	...	9571.00	11000.00	...	11000.00
6.05 विशेष केन्द्रीय सहायता – पर्वतीय क्षेत्र	3601	275.02	...	275.02	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
6.06 विशेष केन्द्रीय सहायता – सीमावर्ती क्षेत्र	3601	990.00	...	990.00	990.00	...	990.00	990.00	...	990.00	...	...	...
6.07 विशेष योजना सहायता	3601	5523.30	...	5523.30	6341.00	...	6341.00	6341.00	...	6341.00	6837.00	...	6837.00
6.08 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	3601	6503.58	...	6503.58	12962.00	...	12962.00	6162.00	...	6162.00	...	...	...
6.09 अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	3601	7824.85	...	7824.85	9541.00	...	9541.00	9541.00	...	9541.00	...	...	...
6.10 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्रवाई योजना (एनईजीएपी)	3601	89.54	...	89.54	315.00	...	315.00	315.00	...	315.00	50.00	...	50.00
6.11 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि – राज्य संघटक	3601	5338.00	...	5338.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	5050.00	...	5050.00
6.12 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)													
6.12.01 शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन से संबंधित उप मिशन	3601	2105.26	...	2105.26	5000.00	...	5000.00	3667.94	...	3667.94	...	...	...
6.12.02 लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी)	3601	1314.78	...	1314.78	4478.00	...	4478.00	3523.24	...	3523.24	...	...	...
6.12.03 शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं संबंधी उप मिशन (एसएम-बीएसयूपी)	3601	970.66	...	970.66	1500.00	...	1500.00	918.82	...	918.82	...	...	...
6.12.04 एकीकृत आवास तथा गंदी बस्ती विकास (आईएचएसडीपी)	3601	799.89	...	799.89	1000.00	...	1000.00	743.59	...	743.59	...	...	...
6.12.05 राजीव आवास योजना (आरएवाई)	3601	97.18	...	97.18	2022.00	...	2022.00	1146.41	...	1146.41	...	...	...
जोड़- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)		5287.77	...	5287.77	14000.00	...	14000.00	10000.00	...	10000.00	...	...	...
6.13 चेन्नै में डिशालिनेशन प्लांट के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	...	...	...	...	...	...	226.69	...	226.69	...	...	...
6.14 वुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.15 एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	...	...	...	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	2640.00	...	2640.00
6.16 अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	...	...	...	540.00	...	540.00	540.00	...	540.00	1180.00	...	1180.00
जोड़- एकमुश्त अनुदान		72251.72	...	72251.72	91957.00	...	91957.00	82422.97	...	82422.97	60332.00	...	60332.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
7. एकमुश्त ऋण													
7.01 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7601	10652.70	...	10652.70	11000.00	...	11000.00	11000.00	...	11000.00	12000.00	...	12000.00
<b>जोड़-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण</b>		<b>82904.42</b>	...	<b>82904.42</b>	<b>102957.00</b>	...	<b>102957.00</b>	<b>93422.97</b>	...	<b>93422.97</b>	<b>72332.00</b>	...	<b>72332.00</b>
<b>राष्ट्रीय आपदाओं के कारण राहत</b>													
8. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण / राष्ट्रीय आपदा निधि में अंतरण (एनडीआरएफ)	2245	...	2810.29	2810.29	...	4800.00	4800.00	...	4650.00	4650.00	...	5050.00	5050.00
8.01 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (कस्टम)	0037	...	-738.70	-738.70	...	-1300.00	-1300.00	...	-1300.00	-1300.00	...	-1500.00	-1500.00
8.02 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (केन्द्रीय आबकारी)	0038	...	-2071.59	-2071.59	...	-3500.00	-3500.00	...	-3350.00	-3350.00	...	-3550.00	-3550.00
<i>कुल</i>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	2245	...	2810.29	2810.29	...	4800.00	4800.00	...	4650.00	4650.00	...	5050.00	5050.00
9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता													
9.01 घटाइए-एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से अंतरण द्वारा पूरी की गई धनराशि	2245	...	-2810.29	-2810.29	...	-4800.00	-4800.00	...	-4650.00	-4650.00	...	-5050.00	-5050.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय आपदाओं के कारण राहत</b>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. वास्तविक वसूलियां	2075	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-11.98	...	-11.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>जोड़</i>		<i>-11.98</i>	...	<i>-11.98</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>82892.44</b>	<b>45578.42</b>	<b>128470.86</b>	<b>102957.00</b>	<b>62459.40</b>	<b>165416.40</b>	<b>93422.97</b>	<b>55614.72</b>	<b>149037.69</b>	<b>72332.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>137332.00</b>
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
<b>राज्य योजना:</b>													
1. एकमुश्त ऋण	43601	10652.70	...	10652.70	11000.00	...	11000.00	11000.00	...	11000.00	12000.00	...	12000.00
2. एकमुश्त अनुदान	43601	72239.74	...	72239.74	91957.00	...	91957.00	82422.97	...	82422.97	60332.00	...	60332.00
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		<b>82892.44</b>	...	<b>82892.44</b>	<b>102957.00</b>	...	<b>102957.00</b>	<b>93422.97</b>	...	<b>93422.97</b>	<b>72332.00</b>	...	<b>72332.00</b>
<b>जोड़</b>		<b>82892.44</b>	...	<b>82892.44</b>	<b>102957.00</b>	...	<b>102957.00</b>	<b>93422.97</b>	...	<b>93422.97</b>	<b>72332.00</b>	...	<b>72332.00</b>

1. **राज्य सरकारों को गैर-योजना अनुदान:** राज्य सरकारों को अनुदान हेतु अनुमान तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा अन्य अनुदानों पर आधारित हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित गैर-योजना अनुदान राज्यों के गैर-योजना राजस्व घाटे, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों में सुधार, सड़कों और पुलों के अनुरक्षण, स्थानीय निकायों, आपदा राहत तथा राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सड़कों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार आदि के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं।

2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान:** केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए यह प्रावधान किया गया है।

3. **अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी संबंधी असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य सरकारों हेतु अस्थाई अग्रिम को सुसाध्य बनाने लिए है।

6.01. **सामान्य केंद्रीय सहायता:** सामान्य केंद्रीय सहायता राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए असंबद्ध सहायता है जो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के आधार पर आबंटित की जाती है।

6.02. **राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता इस मांग के माध्यम से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विदेशी सहायता के बैक-टू-बैक अंतरण की नई प्रणाली प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत विदेशी सहायता उन्हीं शर्तों पर सामान्य श्रेणी के राज्यों को प्रदान की जाती है जिन पर यह सहायता दाता एजेंसियों से केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। चालू परियोजनाओं (01 अप्रैल, 2005 से पहले हस्ताक्षरित) के मामले में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए सहायता सामान्य केंद्रीय सहायता की पद्धति के आधार पर प्रदान की जाती है (70 ऋण : 30 अनुदान)। तथापि विशेष वर्ग के राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण पद्धति पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।

6.03. **अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** यह सहायता परियोजनाओं से जुड़ी होती है और सामान्यतः सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 30 प्रतिशत अनुदान घटक शामिल होता है।

6.04. **विशेष केंद्रीय सहायता:** यह सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए आबंटित की जाती है।

6.05. **पर्वतीय क्षेत्र / पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** यह 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान है जो पहचाने गए पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों में विकास परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

6.06. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात् गृह मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

6.07. **विशेष योजना सहायता:** यह सहायता राज्यों द्वारा अभिनिर्धारित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों (सामान्यतः 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में) को प्रदान की जाती है जो विकास के लिए गैर आवर्ती व्यय हेतु किसी केंद्रीय स्कीम में शामिल नहीं हैं।

6.08. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात् जल संसाधन मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

6.09. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

6.10. **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** केवल एक संगठन नामतः मिशन मोड स्टेट ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को छोड़कर यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात् संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

6.11. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** बीआरजीएफ योजना का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास को तेज करने के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करना है। बीआरजीएफ के राज्य घटक में बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के कालाहांडी-बोलांगिर-कोरापुट जिले आते हैं। बुंदेलखंड सूखा न्यूनीकरण पैकेज तथा आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों के लिए निधियां इस प्रावधान में शामिल की गई हैं।

6.12. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात् आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

6.14. **बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा कम करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा कम करने के लिए प्रावधान को मंद सं. 6.11 में बीआरजीएफ के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

6.16. इस प्रावधान में संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए तथा राज्य की नई राजधानी के लिए आवश्यक सुविधाएं सृजित हेतु आंध्रप्रदेश के लिए निधियां शामिल हैं।

7.01. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता हेतु ब्लाक ऋण:** लेखों के पूंजी शीर्ष के अंतर्गत राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण घटक हेतु धनराशि का प्रावधान।

8. **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता:** 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थापित तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा आपात कोष का 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आपात कोष से एकत्रित धनराशि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंतरित कर दी जाती है तथा राज्यों की सहायता के लिए राज्य के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से पूरक धनराशि प्रदान की जाती है ताकि राज्यों की क्षमता से परे आपदाओं के मामले में तत्काल राहत प्रदान की जा सके।